न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या –459 / 2026

अनवान : –

1. बलजोत सिंह पुत्र फुमन सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी ख्योवाली तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।

– **वादी**

बनाम्

1. महेशपाल कौर पत्नी फुमन सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी ख्योवाली तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
2. कंवर पाल पुत्र फुमन सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी ख्योवाली तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 09/06/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 431 / 421 की कुल 8.3720 हैक्ट भूमि में से 1 / 12 हिस्सा भूमि फुमण सिंह पुत्र भजनसिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में फुमण सिंह पुत्र भजनसिंह के नाम दर्ज है जो की वादी का पिता है फुमण सिंह पुत्र भजनसिंह का देहान्त हो चुका है। फुमण सिंह पुत्र भजनसिंह के जायज वारिसान वादी व प्रतिवादीगण है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी स0 1 जो की वादी की माता है उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है प्रतिवादी स0 1 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी स0 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है बाद हक त्याग वाद भूमि के वादी व प्रतिवादी स0 2 बहिब के खातेदार काश्तकार है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 लगायत 2 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण फुमणसिंह पुत्र भजनसिंह दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में फुमण सिंह पुत्र भजनसिंह के नाम दर्ज है जो की वादी का पिता है फुमण सिंह पुत्र भजनसिंह का देहान्त हो चुका है। फुमण सिंह पुत्र भजनसिंह के जायज वारिसान वादी व प्रतिवादीगण है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी स0 1 जो की वादी की माता है उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है प्रतिवादी स0 1 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी स0 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है बाद हक त्याग वाद भूमि के वादी व प्रतिवादी स0 2 बहिब के खातेदार काश्तकार है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है, प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 431/421 की कुल 8.3720 हैक्ट भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि फुमण सिंह पुत्र भजनसिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में फुमण सिंह पुत्र भजनसिंह के नाम दर्ज है जो की वादी का पिता है फुमण सिंह पुत्र भजनसिंह का देहान्त हो चुका है। फुमण सिंह पुत्र भजनसिंह के जायज वारिसान वादी

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

व प्रतिवादीगण है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी स0 1 जो की वादी की माता है उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है प्रतिवादी स0 1 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी स0 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है बाद हक त्याग वाद भूमि के वादी व प्रतिवादी स0 2 बहिब के खातेदार काश्तकार है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा फुमणसिह के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य हैं।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070—2073 के खाता स0 431/421 की कुल 8.3720 हैक्ट भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि फुमण सिंह पुत्र भजनसिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक फुमण सिंह पुत्र भजनसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी स0 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 09/06/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या –459 / 2026

अनवान : –

1. बलजोत सिंह पुत्र फुमन सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी ख्योवाली तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।

– वादी

बनाम्

1. महेशपाल कौर पत्नी फुमन सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी ख्योवाली तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
2. कंवर पाल पुत्र फुमन सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी ख्योवाली तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 459 सन 2026 निर्णय दिनांक 09/06/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री भरतसिंह बैनीवाल एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 431 / 421 की कुल 8.3720 हैक्ट भूमि में से 1 / 12 हिस्सा भूमि फुमण सिंह पुत्र भजनसिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक फुमण सिंह पुत्र भजनसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी स0 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ...09/06/26... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर